

9CMJ/2024/138

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

कमलकिशोर बनाम कानाराम वगै०

मुकदमा नम्बर :- 52/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.07.2024	<p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज०काश्त० अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस की गई। प्रार्थी, अधिवक्ता द्वारा की गई अंतरिम बहस को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राज०काश्त० अधिनियम- 1955 का अवलोकन किया गया, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी का शपथ पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमी खसरा नम्बर 1394 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अन्तरिम टी०आई० आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बन्धी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।</p> <p>चूकी एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>प्रार्थी वकील को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व रजि० एडी० के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक/स्पीड. पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश कि तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। उक्त आदेश से यदि आप्रार्थीगण को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 02.08.2024 को 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस मय आदेश जारी कर पत्रवाली वास्ते देखने तामील दिनांक 02.08.2024 को पेश हो।</p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

2/2/21

वकीलों द्वारा आज का कार्य
रिपोर्ट रखे जाने से प्रतीत गत
आज्ञापूर्वक दिनांक 09/12/21
को पेश हो।

Presented by
Adv. O.
R.

05/9/21

व. प्रार्थी डी. प्र. अग्रणी के तलबी परिसर
ए. नं. से करवायी जाकर-प्रावली डिमेंड
10/10/21 को पेश की।

10/10/21

व. प्रार्थी डी. आगामी पेशी पर आवश्यकता
से अग्रणी के रि. ए. सी. स्कीड पेश-क्रे
प्रावली वाड तलबी डिमेंड 06/11/21 को पेश
की।

6/11/21

वकीलों द्वारा आज का कार्य
रिपोर्ट रखे जाने से प्रतीत गत
आज्ञापूर्वक दिनांक 09/12/21
को पेश हो।

09/12/21

व. प्रार्थी डी. आगामी पेशी पर आवश्यकता
से ए. नं. स्कीड पेश-क्रे अग्रणी प्रावली
स्वा: 09/25 के खारिज कान-प्रावली प्रावली
आगामी डिमेंड 19/12/21 को पेश की।

19/12/21

प्रावली पेश-क्रे वकील प्रार्थी के अग्रणी के
के तलबी करवाने वाले परिसर अग्रणी डिमेंड
पने के बावजूद तलबी पेश नहीं करने पर
प्रावली-आग्रणी आदेशों के अग्रणी
में 09/25 CPC के खारिज कान-प्रावली-क्रे
प्रावली, डी. नं. से कान से तथा डायल
इसके की।

सहायक कलक्टर
बो. (प्रावली)